न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 57 सन 2019

अनवान :–

1. बलवन्त पि0मु0 कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फोत)
   1/1 अनकारी पत्नि चन्दभान 1/2 जगदीश पुत्र चन्द्रभान 1/3 दयावन्ती 1/4 कमलेश रानी 1/5 यशोदा पुत्री चन्दभान जाति जाट साकिन बरवाली
2. शर्मिला पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रेखा पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 19/21 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 9/10 की 5.8190हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा कालुराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के दादा कालुराम का देहान्त हो चुका है जिसके चार पुत्र चन्द्रभान कृष्ण कुमार दौलतराम एव बृजलाल हुए कालुराम का पुत्र कृष्ण कुमार का देहान्त हो गया है जिसका एक मात्र खोलायत पुत्र वादी है इसीप्रकार दौलतराम बचपन में ही घर से लापता हो गया जिसका आज तक कोई अता पता नही है अर्थात दौलतराम का भी देहान्त सिविल डैथ हो गयी है कालूराम का तीसरा पुत्र बृजलाल का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इसी प्रकार चन्द्रभान का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 है इसप्रकार कालूराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 हुए जो कालूराम की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1/3 ता 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 एव 1/2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के दादा कालूराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 एवं 2 ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है कालुराम के पुत्रों में से बृजलाल का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है कृष्ण कुमार का भी देहान्त हो गया जिसका वादी ही एक मात्र खोलायत पुत्र है दौलतराम बचपन से ही लापता है अर्थात 40 सालो से लापता है जिसका कोई अता पता नही है अर्थात दोलतराम का भी देहान्त हो गया है इसीप्रकार चन्द्रभान का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 है इसप्रकार कालूराम की भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 , 2 ,3 ही जायज वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1/3 से 1/3 जो प्रतिवादी संख्या 1/2 की बहन है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो /माता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2 ,2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन कियो की रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 19/21 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 9/10 की 5.8190हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा कालुराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के दादा कालुराम का देहान्त हो चुका है जिसके चार पुत्र चन्द्रभान कृष्ण कुमार दौलतराम एव्र बृजलाल हुए कालुराम का पुत्र कृष्ण कुमार का देहान्त हो गया है जिसका एक मात्र खोलायत पुत्र वादी है इसीप्रकार दौलतराम बचपन में ही घर से लापता हो गया जिसका आज तक कोई अता पता नही है अर्थात दौलतराम का भी देहान्त सिविल डैथ हो गयी है कालूराम का तीसरा पुत्र बृजलाल का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इसी प्रकार चन्द्रभान का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 है इसप्रकार कालूराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 हुए जो कालूराम की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1/3 ता 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2 ,3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 एव 1/2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के दादा कालूराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 , 2 ,3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत एवं एआई आर 1967 साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 107 ,108 पेज 6–8 पेश कर निवेदन किया की लापता/गायब जिसका कोई अता पता ना हो को साक्ष्यों के आधार पर मृतक माना जाकर जायज वारिसान सम्पति पाने के अधिकारी होगे एवं कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
लाहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 19/21 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 9/10 की 5.8190हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा कालुराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के दादा कालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र चन्द्रभान , कृष्ण कुमार , दौलतराम , बृजलाल हुए जिनमें से बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवाादी संख्या 1 ,2 है कृष्ण कुमार का भी देहान्त हो गया है जिसके केवल वादी खोलायत पुत्र है इसी प्रकार चन्द्रभान का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्रों से पूर्णत्या साबित है।

वादी का कथन है कि कालूराम का पुत्र दौलतराम जो बचपन से ही लापता है जिसको आज तक काफी खोजबीन करने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चला है अर्थात दौलतराम की मृत्यू (सिविल डैथ) हो चुकी है

वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1/1 एवं 1/5 एव 2 ,3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी का कथन स्वीकार है क्योकि दोलतराम घर से निकलने के बाद आज तक किसी भी व्यक्ति रिश्तेदार ने नही देखा है अर्थात उसके पति की सिविल डैथ होना स्वीकार है तथा सरंपच ग्राम पंचायत बरवाली के द्वारा दौलतराम के सम्बध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि दौलतराम 40 साल पहले लापता हुआ था

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति का सात सालों तक तालाश करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी नही हो तो उसकी सिविल डैथ होनी मानी जा सकती है हस्तगत प्रकरण में भी दोलतराम का भी पिछले 40 सालो से कोई अता पता नही होना सिविल डैथ की परिभाषा में आती है वादी ने कनीराम के लापता होने के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों के ब्यान भी करवाये गये है जिसके अनुसार कनीराम का काई अता पता नही है अर्थात कनीराम की सिविल डैथ हो चुकी है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1/3 से 1/5 , 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयों के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिसे प्रतिवादी संख्या 1/3 से 1/5 से स्वीकार किया गया है।

उक्त कथनों के सम्बध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 ,2 ,3 को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है।वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाचिक दृष्टान्त एआईआर प्रकरण पर चस्पा होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 ,2 ,3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तो चस्पा होने के कारण के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 19/21 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 9/10 की 5.8190हैक भूमि में कालुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बलवन्त पि0मु0 कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फोत)
   1/1 अनकारी पत्नि चन्दभान 1/2 जगदीश पुत्र चन्द्रभान 1/3 दयावन्ती 1/4 कमलेश रानी 1/5 यशोदा पुत्री चन्दभान जाति जाट साकिन बरवाली
2. शर्मिला पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रेखा पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 57 सन 2019 निर्णय दिनांक– 11/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 19/21 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 9/10 की 5.8190हैक भूमि में कालुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते